**संख्या-10/2022/I/157479/2022/001-46-1002-003-6-2022**

प्रेषक,

**डॉ. रूपेश कुमार**,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

**आयुक्त,**
गन्ना एवं चीनी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 20 अप्रैल, 2022

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-24 (चीनी) के अन्तर्गत चीनी आयुक्त का अधिष्ठान में लेखानुदान के सापेक्ष प्रथम चार माहों (अप्रैल से जुलाई, 2022 तक) के लिए वेतन वचनबद्ध व्ययों एवं अन्य कार्यालय मदों हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक-07/लेखा-बजट(चीनी)/2022-23, दिनांक 07 अप्रैल, 2022 के प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-24 के अन्तर्गत **चीनी आयुक्त का अधिष्ठान** व्यय के विभिन्न मदों के लिए लेखानुदान के सापेक्ष प्रथम चार माहों (अप्रैल से जुलाई, 2022 तक) हेतु कुल धनराशि **रू.640.28 लाख (रूपये छः करोड़ चालीस लाख अटठाईस हजार मात्र)** का निम्न विवरण के अनुसार आहरित करने एवं आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

**(धनराशि लाख रूपये में)**

| **क्र.सं.** | **लेखाशीर्षक-2852-उद्योग<br>08-उपभोक्ता उद्योग<br>001-निदेशन तथा प्रषासन<br>03-चीनी आयुक्त का अधिष्ठान** | **वित्तीय वर्ष 2022-23 का आय-व्ययक अनुमान** | **वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम चार माहों (अप्रैल से जुलाई, 2022 तक) के लिए स्वीकृत धनराशि** |
|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1** | 01- वेतन | 1260.00 | 420.00 |
| **2** | 03- महँगाई भत्ता | 466.20 | 155.40 |
| **3** | 04-यात्रा व्यय | 10.00 | 3.33 |



1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | 05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय | 3.00 | 1.00 |
| 5 | 06-अन्य भत्ते | 12.00 | 4.00 |
| 6 | 07-मानदेय | 0.20 | 0.07 |
| 7 | 08-कार्यालय व्यय | 8.00 | 2.67 |
| 8 | 09-विद्युत व्यय | 9.00 | 3.00 |
| 9 | 10-जलकर/जलप्रभार | 0.20 | 0.07 |
| 10 | 11-लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई | 4.00 | 1.33 |
| 11 | 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 6.00 | 2.00 |
| 12 | 13-टेलीफोन पर व्यय | 3.50 | 1.17 |
| 13 | 15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | 10.00 | 3.33 |
| 14 | 16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान | 1.00 | 0.33 |
| 15 | 17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व | 25.00 | 8.33 |
| 16 | 42-अन्य व्यय | - | - |
| 17 | 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | 0.30 | 0.10 |
| 18 | 45-अवकाश यात्रा व्यय | 0.10 | 0.03 |
| 19 | 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय | 8.00 | 2.67 |
| 20 | 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेषनरी का क्रय | 7.00 | 2.33 |
| 21 | 49-चिकित्सा व्यय | 7.25 | 2.42 |
| 22 | 51-वर्दी व्यय | 0.10 | 0.03 |
| 23 | 55-मकान किराया भत्ता | 80.00 | 26.67 |
| 24 | 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान | - | - |
| | योग:- | 1920.85 | 640.28 |

**(रूपये छः करोड़ चालीस लाख अटठाईस हजार मात्र)**



1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

2. उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय करने के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 एवं शासनादेश संख्या:5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022, दिनांक 29 मार्च, 2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3. आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4. स्वीकृति धनराशि प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में व्यय की जायेगी जिस कार्य/मद हेतु स्वीकृत की गयी है। यथा समय उपयोगगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

5. धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही राजकोष से किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही उपर्युक्त धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा एकमुश्त धनराशि का आहरण नहीं किया जायेगा तथा आहरण की गयी धनराशि पी.एल.ए./बैक खाते में नहीं रखा जायेगा।

6. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

7. स्वीकृत की जा रही उपर्युक्त धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकतानुसार किया जाये।

8. उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-24 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-"2852-उद्योग, 08-उपभोक्ता उद्योग 001-निदेशन तथा प्रशासन, 03-चीनी आयुक्त का अधिष्ठान" के उपर्युक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

9. उक्त वित्तीय स्वीकृति का आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 एवं शासनादेश संख्या:5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022, दिनांक 29 मार्च, 2022 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

**डॉ. रूपेश कुमार**

विशेष सचिव।



1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:**10/2022/I/157479/2022** एवं तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ.प्र. प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ.प्र. प्रयागराज।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)
7. वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र.।
8. चीनी उद्योग अनुभाग-2
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

डॉ. रूपेश कुमार

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in



1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है